राजकीय महाविद्यालय चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के निधियों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2008 से 3/2013

भाग–एक

1 **गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–**

पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों पर की गई कार्यवाही का सत्यापन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई। अनिर्णीत पैरों के पूर्ण निपटारे हेतु व्यक्तिगत रूचि लेकर अविलम्ब निपटाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/76 से 3/83

1	पैरा–6	अनिर्णीत	
2	पैरा–7 (ए)	निर्णीत	(₹755/– की राशि रसीद संख्या 0368692 दिनांक 21.5.2013 द्वारा वसूल करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवा दिए। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
3	पैरा–7 (बी)	निर्णीत	(₹1456 की राशि रसीद संख्या 0368693 दिनांक 21.5.13 द्वारा वसूल करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवा दिए। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
4	पैरा–7 (सी0डी0)	अनिर्णीत	
5	पैरा–8	अनिर्णीत	
6	पैरा–9 (बी) 2, 4, 9, 10, 12, 13, 15 से 17, 19 से 21, 23	अनिर्णीत	
7	पैरा–9 (बी) 24	निर्णीत	(₹47/–की राशि रसीद संख्या 0368694 दिनांक 21.5.13 द्वारा वसूल कर लिये गये)
8	पैरा–9 (बी) 25	अनिर्णीत	
9	पैरा–9 (बी) 30 से 38, 40	अनिर्णीत	

10	पैरा–9 (बी) 43	निर्णीत	(पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
11	पैरा–9 (बी) 46	निर्णीत	(₹620/– की राशि रसीद संस्था 0368595 दिनांक 21.5.13 द्वारा वसूल करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवा दी गई। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
12	पैरा–9 (बी) 48, 49	अनिर्णीत	
13	पैरा–9 (बी) 50	निर्णीत	(₹44 की राशि रसीद संख्या 0368696 दिनांक 21.5.13 द्वारा वसूल करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवा दी गई। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया)
14	पैरा–9 (बी) 51	निर्णीत	(₹30 की राशि रसीद संख्या 0368697 दिनांक 21.5.13 द्वारा वसूल करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवा दी गई एवं लैब में पानी की आपूर्ति की स्वीकृति देखने के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया)
15	पैरा–9 (बी) 52	निर्णीत	(₹86 की राशि रसीद संख्या 0368698 दिनांक 21.5.13 द्वारा वसूल करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवा दी गई। अतः पैरे का निपटारा कर दिया गया)
16	पैरा–9 (बी) 53	निर्णीत	(₹434 की राशि रसीद संख्या 0368699 दिनांक 21.5.13 द्वारा वसूल करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवा दी गई। अतः पैरे का निपटारा कर दिया)
17	पैरा–9 (बी) 54	निर्णीत	(₹125/– की वसूली रसीद संख्या 0368700 दिनांक 21.5.13 द्वारा वसूल करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा कर दी गई। अतः पैरे का निपटारा कर दिया)
18	पैरा–9 (बी) 58	अनिर्णीत	

19	पैरा–9 (बी) 61	निर्णीत	(₹120/–की वसूली रसीद संख्या 0391611 दिनांक 21.5.13 द्वारा वसूल करके सम्बन्धित निधि खाते में जमाकर दी गई। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
20	पैरा–9 (बी) 62	निर्णीत	(₹600/– की वसूली रसीद संख्या 0391612 दिनांक 21.5.13 द्वारा वसूल करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा कर दी गई। अतः पैरे का निपटारा कर दिया)
21	पैरा–9 (बी) 63	अनिर्णीत	
22	पैरा–9 (बी) 64	निर्णीत	(₹27/– की वसूली रसीद संख्या 0391613 दिनांक 21.5.2013 द्वारा वसूल कर ली गई है। अतः पैरे का निपटारा कर दिया)
23	पैरा–9 (बी) 65	निर्णीत	(पैरे का निर्णीत पिछले अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया था)
24	पैरा–9 (बी) 66	अनिर्णीत	
25	पैरा–9 (बी) 67 से 68	निर्णीत	(पैरों का निपटारा पिछले अंकेक्षण के दौरान कर दिया गया था)
26	पैरा–9 (बी) 69	निर्णीत	(₹84 की वसूली रसीद संख्या 0391614 दिनांक 21.5.13 द्वारा वसूल करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवा दिए अतः पैरे का निपटारा कर दिया)
27	पैरा–9 (बी) 70	निर्णीत	(₹295/– की वसूली रसीद संख्या 391615 दिनांक 21.5.13 द्वारा वसूल कर ली गई है। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया)
28	पैरा–9 (बी) 71	अनिर्णीत	
29	पैरा–9 (बी) 74	निर्णीत	(₹200/– की वसूली रसीद संख्या 0391616 दिनांक 21.5.13 द्वारा वसूल कर ली गई है।

			अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया)
30	पैरा–9 (बी) 78, 79, 82, 84	अनिर्णीत	
31	पैरा–9 (बी) 86	निर्णीत	(₹380/– की वसूली रसीद संख्या 0391617 दिनांक 21.5.13 द्वारा कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
32	पैरा–9 (बी) 87	निर्णीत	(₹168/– की वसूली रसीद संख्या 0391618 दिनांक 21.5.13 द्वारा कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
33	पैरा–9 (बी) 88	निर्णीत	(₹450/–की वसूली रसीद संख्या 0391619 दिनांक 21.5.13 द्वारा कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
34	पैरा–9 (बी) 89	अनिर्णीत	
35	पैरा–9 (बी) 90	निर्णीत	(₹48/– की वसूली रसीद संख्या 0391620 दिनांक 21.5.13 द्वारा कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया)
36	पैरा–9 (बी) 91	निर्णीत	(₹100/– की वसूली रसीद संख्या 0391621 दिनांक 21.5.13 द्वारा कर ली गई थी। अतः पैरे का निपटारा कर दिया)
37	पैरा– 9 (बी) 92 से 95	अनिर्णीत	
38	पैरा–10 (ए0बी0सी0ई0एफ0जी0)	अनिर्णीत	
39	पैरा–13	अनिर्णीत	

<u>(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/92</u>

1	पैरा–8 (7)	निर्णीत	(₹5440/– की राशि मिश्रित निधि से निकालकर भवन निधि में दिनांक 21.5.13 को जमा कर दी गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया)
2	पैरा–8 (9)	अनिर्णीत	
3	पैरा–8 (10) (1, 2, 3)	अनिर्णीत	
4	पैरा–8 (12)	अनिर्णीत	
5	पैरा–8 (14) (1)	निर्णीत	(पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
6	पैरा–8 (14) (2)	अनिर्णीत	
7	पैरा–8 (16)	निर्णीत	(₹6669/– की राशि मिश्रित निधि से निकालकर भवन निधि में दिनांक 21.5.13 को जमा करवा दी थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
8	पैरा–8 (18)	निर्णीत	(₹160/– की राशि की वसूली रसीद संख्या 0391622 दिनांक 21.5.12 द्वारा करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवा दी गई। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निप्टारा कर दिया)
9	पैरा–8 (19 क से 21, 22(1))	अनिर्णीत	
10	पैरा–8 (23)	निर्णीत	(पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया)
11	पैरा–8 (24, 25)	अनिर्णीत	
12	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत	
13	पैरा–9 (ख)	निर्णीत	(₹167 की वसूली रसीद संख्या 0391623 दिनांक 21.5.13 द्वारा सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवा दी गई। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया)
14	पैरा–9 (ग से ङ)	अनिर्णीत	

15	पैरा—10 (क)	निर्णीत	(₹72 / — की वसूली रसीद संख्या 0391624 दिनांक 21.5.13 द्वारा करके सरकारी खजाने में जमा कर दी गई। अतः पैरे का निपटारा कर दिया)
16	पैरा—10 (ख) (1)	निर्णीत	(₹380 की वसूली रसीद संख्या 0391625 दिनांक 22.5.13 द्वारा सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवा दी गई। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया)
17	पैरा—10 (ख) (2)	अनिर्णीत	
18	पैरा—10 (ग)	अनिर्णीत	
19	पैरा—10 (घ)	निर्णीत	(₹36 की वसूली रसीद संख्या 0391626 दिनांक 22.5.13 द्वारा सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवा दी गई। अतः पैरे का निपटारा कर दिया गया)
20	पैरा—10 (ङ से च)	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4 / 92 से 3 / 98

1	पैरा—4	अनिर्णीत	
2	पैरा—4 (1 से 3)	अनिर्णीत	
3	पैरा—4 (4)	अनिर्णीत	
4	पैरा—5	निर्णीत	
5	पैरा—6 (1)	अनिर्णीत	
6	पैरा—7 (1)	अनिर्णीत	
7	पैरा—7 (2)	निर्णीत	(₹190 / — की राशि रसीद संख्या 0391627 दिनांक 22.5.13 द्वारा वसूल करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवा दी गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
8	पैरा—7 (3)	निर्णीत	(₹321 / — की वसूली रसीद संख्या 0391628 दिनांक

			22.5.13 द्वारा वसूल करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवा दिये गये थे अतः पैरे का निपटारा कर दिया)
9	पैरा–7 (5)	निर्णीत	(₹300/– की वसूली रसीद संख्या 0391629 दिनांक 22.5.13 द्वारा वसूल करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा कर दिये गसे। अतः पैर का समायोजन कर दिया)
10	पैरा–7 (6)	अनिर्णीत	
11	पैरा–7 (7)	निर्णीत	(₹2400/– की राशि मिश्रित निधि से निकालकर दिनांक 22.5.13 को भवन निधि में जमा करवा दी गई। अतः पैरे का निपटारा कर दिया)
12	पैरा–7 (8)	निर्णीत	(पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
13	पैरा–7 (9)	निर्णीत	(₹100/– की वसूली रसीद संख्या 0391630 दिनांक 22.5.13 द्वारा करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा कर दी गई थी अतः प्रति के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
14	पैरा–7 (10)	निर्णीत	(₹495 की राशि दिनांक 22.5.13 को भवन निधि से निकाल कर मिश्रित निधि में जमा करवा दी गई थी अतः पैरे का निपटारा कर दिया)
15	पैरा–7 (11 से 13)	अनिर्णीत	
16	पैरा–7 (14)	निर्णीत	(₹2975/– की राशि दिनांक 22.5.13 को भवन निधि से निकालकर मिश्रित निधि में जमा करवा दी गई। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया)
17	पैरा–7 (15)	अनिर्णीत	
18	पैरा–7 (16)	निर्णीत	(पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
19	पैरा–7 (17)	निर्णीत	(पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
20	पैरा–7 (18)	निर्णीत	(पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
21	पैरा–7 (19)	अनिर्णीत	

22	पैरा–7 (20)	निर्णीत	(पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
23	पैरा–7 (21)	निर्णीत	(पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
24	पैरा–7 (22)	निर्णीत	(पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
25	पैरा–7 (23)	निर्णीत	(पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
26	पैरा–7 (24)	निर्णीत	(पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
27	पैरा–7 (25)	निर्णीत	(पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
28	पैरा–7 (26)	अनिर्णीत	
29	पैरा–7 (27)	निर्णीत	(पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
30	पैरा–7 (28, 29)	अनिर्णीत	
31	पैरा–8	निर्णीत	(₹36 की वसूली रसीद संख्या 0391631 दिनांक 22.5.13 द्वारा करके सरकारी खजाने में जमा कर दी गई थी। अतः पैरे का निपटारा कर दिया)
32	पैरा–9	अनिर्णीत	
33	पैरा–10	निर्णीत	(पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
34	पैरा–11	निर्णीत	(पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
35	पैरा–12	अनिर्णीत	

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/2002

1	पैरा–8	अनिर्णीत
2	पैरा–14	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2008

1	पैरा–5	निर्णीत	(₹278 की वसूली रसीद संख्या 368690 दिनांक 21.5.13 द्वारा वसूल करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवा दिए गये थे अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया)
2	पैरा–6	निर्णीत	(पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया)
3	पैरा–7	निर्णीत	(पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया)
4	पैरा–8	अनिर्णीत	
5	पैरा–9	निर्णीत	(पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया)

6	पैरा–10	निर्णीत	(स्टॉक प्रविष्टियॉ देखने के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया)
7	पैरा–11	निर्णीत	(पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया गया)
8	पैरा–12	निर्णीत	(₹8540 / – का मुद्रित / पक्का बिल देखने के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया)
9	पैरा–13	अनिर्णीत	
10	पैरा–14	निर्णीत	(₹300 की वसूली रसीद संख्या 368691 दिनांक 21.5.13 द्वारा जोकि 1800 ग्राम पोटाशियम क्लोराईड खाते में जमा करवा दी गई थी। अतः पैरे का निपटारा कर दिया)
11	पैरा–15	अनिर्णीत	

भाग–दो

2 **वर्तमान अंकेक्षणः–**

राजकीय महाविद्यालय चम्बा, जिला चम्बा का अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गये है, श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 22.3.2013 से 27.5.13 तक महाविद्यालय परिसर में किया गया। आय व व्यय लेखों की विस्तृत जांच हेतु माह का चयन निम्न वर्णित हैः–

वित्तीय वर्ष	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
आय	07 / 2008	06 / 2009	6 / 2010	6 / 2011	6 / 2012
व्यय	03 / 2009	02 / 2010	12 / 2010	11 / 2011	12 / 2012

अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रधनाचार्य / नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध / प्रस्तुत करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी प्रकार की गलत सूचना / अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। स्थानीय लेखा विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जॉच हेतु चयनित मासों तक सीमित है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान महाविद्यालय में निम्न वर्णित प्रधानाचार्य ने आहरण व वितरण अधिकारियों के रूप में कार्य कियाः—

क्र0सं0	प्रधानाचार्य का नाम	कार्य की अवधि
1	डा0पी0के0 गुप्ता (कार्यवाहक)	1.4.08 से 15.7.08
2	डा0पी0सी0 पटियाल	16.7.08 से 2.10.08
3	श्रीमती भूवन विज (कार्यवाहक)	3.10.08 से 8.6.09
4	डा0 मदन लाल शर्मा	9.6.09 से 31.3.13

3 **अंकेक्षण शुल्कः—**

राजकीय महाविद्यालय, चम्बा के छात्र निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क विद्यालय की वार्षिक प्राप्तियों के आधार पर ₹35000/— आंका गया, जिसकी गणना निम्न प्रकार से हैः—

वित्तीय वर्ष	कुल आय	अंकेक्षण शुल्क (₹)
2008—09	1572489	7000
2009—10	1773962	7000
2010—11	2418685	7000
2011—12	2624978	7000
2012—13	2628429	7000
	कुल	35000

उपरोक्त वर्णित अंकेक्षण शुल्क ₹35000/—की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 59 दिनांक 8.5.2013 द्वारा अनुरोध किया गया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹35000/— को बैंक ड्राफ्ट संख्या 877105 दिनांक 21.5.2013 शाखा हिमाचल प्रदेश स्टेट को0 बैंक, चम्बा से बनाकर निदेशक, स्थानीय लेखा विभाग, शिमला—9 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थितिः—

दिनांक 31.3.2013 तक राजकीय महाविद्यालय चम्बा के विभिन्न छात्र निधियों को वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है। महाविद्यालय की निधिवार वित्तीय स्थिति का अन्तशेष सहित विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" (पृष्ठ संख्या 1 से 7) में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	सवधि जमा (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2008—09	7365082.32	1572489	270703	—	9208274.32	1070500	8137774.32
2009—10	8137774.32	1773962	295271	—	10207007.32	1406228	8800779.32
2010—11	880779.32	2691252	322389	—	11814420.32	1608995	10205425.32
2011—12	10205425.32	2886490	414319	—	13506234.32	2551369	10954865.32
2012—13	10954865.32	3173146	479161	9838676	24445848.32	2720034	21725814.32

निधिवार दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही एवं पास बुक का अन्तिम शेष इस प्रकार हैः—

क्र0 सं0	निधि का नाम	बैंक खताा सं0	बैंक में 31.3.13 को शेष राशि (₹)	सावधि जमा (₹)	रोकड़ वही में 31.3.13 को शेष राशि (₹)	अन्तर (₹)
1	मिश्रित निधि	2926	2811879.81	7042601	9838366.81	16114
2	साईंस निधि	2928	2715580.69	980667	3690282.69	5965
3	यूनिवसिटी निधि	2929	2665602.82	1815408	4480470.82	540
4	रोबर एंड रैन्जर निधि	2173085223	823945	—	82945	—
5	स्पोर्टस निधि	13300	965607	179837	1138675	6769
6	लाईब्रेरी प्रतिभूति निधि	13291	390287	—	390287	—
7		13292	43413	—	43413	—

8	स्वास्थ्य निधि	13293	38917	—	38917	—
9	कैम्पस डवलप	13294	60544	—	60544	—
10	फर्नीचर निधि	13295	61637	—	57313	4324
11	मैगजीन निधि	13296	175240	—	175240	—
12	एन0सी0सी0 निधि	13298	26111	—	23206	2905
13	छात्र निधि	13299	13371	—	13371	—
14	कल्चरल एक्टिविटि निधि	13301	129735	—	129735	—
15	कम्पयूटर व इन्टरनेट	13302	73035	—	73035	—
16	अनुपस्थिति शुल्क निधि	13303	132940	—	132940	—
17	बुक रिपसेलमैनट निधि	13305	227800	—	227800	—
18	पहचान पत्र निधि	13306	66682	—	66682	—
19	जलपान निधि	13304	107046	—	107046	—
20	प्रोस्पैक्टस	13297	214545	—	214545	—
	कुल		**11743918.32**	**10018513**	**21725814.32**	**36617**

(क) दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही का अन्तिम शेष ₹21725814.32

(ख) दिनांक 31.3.2013 को बैंक पास बुक अनुसार अन्तिम शेष ₹11743918.32

(i)

(ii) सावधि जमा के रूप में निवेशित कुल राशि ₹10018513.00

कुल **₹21762431.32**

(ग) अतः (क) व (ख) में अन्तर ₹36617.00 जिसके निम्नलिखित कारण हैः–

Bank Reconciliation statement as on 31-3-2013

	Particulars		Debit(+)	Credit (-)
	Balance as per cash Book		21725814.32	-
(I)	Cheques issued but not proceeded for payment:			
(1)	Bank A/C No. 2926			
	Cheque No. 244602	₹580		
	Cheque No. 244603	₹250		
	Cheque No. 244615	₹70		
	Cheque No. 244620	₹1414		
	Cheque No. 244621	₹12300		
	Cheque No. 244622	₹1500		
(2)	Bank A/C No. 2928			
	Cheque No. 2215379	₹1974		
	Cheque No. 2215381	₹1908		
	Cheque No. 2215382	₹836		
	Cheque No. 2215384	₹1787		
(3)	Bank A/C No. 13300			
	Cheque No. 7775454	₹3000		
	Cheque No. 7775462	₹2835		
	Cheque No. 7775463	₹934		
(4)	Bank A/C No. 13295			
	Cheque No. 6566678	₹2881		
	Cheque No. 6566679	₹488		
	Cheque No. 6566680	₹955		
(5)	Bank A/C No. 13298			
	Cheque No. 6566807	₹540		
	Cheque No.6566808	₹2365	36617.00	-
	(II) ₹540/- deposited in A/C No. 2928 but		-	540

not credit		
(III) Wrong credit by the bank in A/C No. 2929	540	-
Balance as per Pass Book -	21762431.32	

5 <u>निवेशः—</u>

(क) दिनांक 31.3.2013 तक निम्न वर्णित सावधि लेखों में ₹10018513.00 की राशियॉ निवेशित पाई गई।

क्र0 सं0	फण्ड का नाम	निवेश की तिथि	एफ0डी0आर0 संख्या	निवेशित राशि	परिपक्वता दिनांक	परिपक्वता राशि
1	मिश्रित निधि	22.12.2012	11150037731	3639561	22.12.2013	3958925
2	मिश्रित निधि	18.2.2013	17930300627	711544	18.7.2014	807239
3	मिश्रित निधि	18.2.2013	17930301301	980667	18.7.2014	1112556
4	मिश्रित निधि	27.2.2013	1420003107131014	215966	16.9.2013	236069
5	मिश्रित निधि	27.2.2013	3102538018	363942	6.10.2013	397819
6	मिश्रित निधि	21.8.2012	DA 00005140	149530	6.9.2015	196064
7	मिश्रित निधि	21.8.2012	DA 00005168	53451	6.9.2015	70085
8	मिश्रित निधि	21.8.2012	DA 00005131	181058	6.9.2015	237404
9	मिश्रित निधि	24.8.2012	3240326379	381636	2.3.2014	438736
10	मिश्रित निधि	10.3.2012	13001054290	365246	11.3.2015	480662
11	साईंस निधि	18.2.2013	17930301302	980667	18.7.2014	1112556
12	यूनिवसिटी निधि	22.12.2012	11150037606	1670109	22.12.2013	1816658
13	यूनिवसिटी निधि	27.2.2013	3102537019	91848	6.10.2013	100398
14	यूनिवसिटी निधि	21.8.2012	DA00005159	53451	6.9.2015	70085

15	स्पोर्टस निधि	12.3.2013	3242909257	178937	18.9.2014	206591
		कुल निवेशित राशि		10018513		

<u>(ख) वर्ष 2009—10 तक की पुस्तकालय निधि की राशि विश्वविद्यालय निधि से पुस्तकालय निधि में हस्तांतरित न करने बारेः—</u>

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वर्ष 2009—10 तक पुस्तकालय निधि विद्यार्थियों से एकत्रित करके विश्वविद्यालय निधि में जमा करवाई जाती थी। वर्ष 2010—11 में पुस्तकालय निधि की राशि अलग रोकड़ वही एवं बैंक पास बुक में जमा करवाई गई थी लेकिन वर्ष 2009—10 तक एकत्रित की गई पुस्तकालय निधि की राशि विश्वविद्यालय निधि से निकालकर पुस्तकालय निधि में जमा नहीं करवाई गई जिसे हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें।

<u>(ग) वर्ष 2009—10 तक मिश्रित निधि में जमा अन्य विभिन्न निधियों की राशि को सम्बन्धित निधि खातों में हस्तांतरित न करने बारेः—</u>

वर्ष 2009—10 तक मिश्रित निधि में मिश्रित निधि के अतिरिक्त अन्य छात्र निधि जैसे परीक्षा, स्वास्थ्य, फर्नीचर मुरम्मत, सांस्कृतिक निधि, कैम्पस विकास, पहचान पत्र, छात्र कल्याण, एन0सी0सी0 मैगजीन, पुस्तक प्रतिस्थापन निधि, एवं अनुपस्थिति दण्ड निधि इत्यादि की राशि भी जमा की जानी थी। वर्ष 2010—11 से उपरोक्त वर्ण्धित निधियें की अलग—2 रोकड़ वही एवं बैंक खाता खोल दिया गया लेकिन वर्ष 2009—10 तक जमा राशि मिश्रित निधि से सम्बन्धित छात्र निधि खाते में हस्तांतरित नहीं की गई जिसे अब हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें।

<u>(घ) प्रोस्पैक्टस एवं कैन्टीन के रख रखाव के लिए अलग से रोकड़ वही एवं बैंक खाता खोलने बारेः—</u>

अंकेक्षण के दौरान पाया कि प्रोस्पैक्टस एवं कैन्टीन से आय एवं व्यय के लिए अलग—2 रोकड़ वही एवं बैंक खाता खोला गया जोकि उचित नहीं था क्योंकि नियमानुसार इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। कैन्टीन व प्रोस्पैक्टस से आय व व्यय मिश्रित निधि से ही किए जाते है। अतः भविष्य में नियमों के अनुसार ही फण्डों की रोकड़ वही व बैंक खाता खोला जाए तथा प्रोस्पैक्टस व कैन्टीन खातों का समायोजन मिश्रित निधि में करना सुनिश्चित करें।

(ङ) उचित वित्तीय प्रबन्धन न करने के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा विभिन्न छात्र निधियों में पड़ी राशियों को बचत बैंक खातों में ही रखा गया। यह राशियां महाविद्यालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राशि के रूप में पाई गई। यदि वास्तविक व्यय को ध्यान में रखते हुए इन छात्र निधियों की अतिरिक्त राशियों को सावधि जमा योजना में निवेश किया जाता तो महाविद्यालय को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित हो सकती थी जिसका उपयोग छात्रों की भलाई हेतु किया जा सकता था। संस्थान द्वारा छात्र निधियों में पाई गई अतिरिक्त राशियों का उचित प्रकार से वित्तीय प्रबन्धन न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में अतिरिक्त राशियों का सही प्रकार से उचित वित्तीय प्रबन्धन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ताकि छात्र निधि के अतिरिक्त ब्याज की प्राप्ति से वंचित न होना पड़े।

(च) विभिन्न निधियों की सावधि जमा की राशि को रोकड़ वही में न दर्शाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि विभिन्न निधि खातों की राशि को अंकेक्षण अवधि के पूर्व से समयावधि जमा के रूप में निवेश किया गया था लेकिन इन सावधि जमा की राशि को सम्बन्धित निधि खाते की रोकड़ वही में नही दर्शाया जा रहा था जिसके अभाव में विभिन्न छात्र निधि खातों की सही वित्तीय स्थिति प्रदर्शित नहीं हो रही थी एवं सावधि जमा की राशि के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता था। अतः अंकेक्षण के दौरान वर्ष 2012–13 में सम्बन्धित निधि खातों की सावधि जमा राशि को उसकी रोकड़ वही में प्रविष्टि करवा दिया गया एवं इसकी पुष्टि भी कर ली गई थी।

(छ) निवेश रजिस्टर तैयार न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि महाविद्यालय में निवेश रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था जबकि महाविद्यालय के पास छात्र निधियों की कुल ₹10018513/– की राशि सावधि जमा के रूप में निवेशित है। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल निवेश का ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज करके नियन्त्रण अधिकारी से सत्यापित करना सुनिश्चित करें ताकि समय–2 पर किये गए निवेश की स्थिति स्वतः स्पष्ट हो सके।

आयः–

6 (क) रसीद बुकों को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि माह 11/2008 तक जारी की गई, फीस व निधि एकत्रीकरण की रसीदों का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया था जिसके अभाव में यह पता लगाना सम्भव नहीं था कि अंकेक्षण अवधि के दौरान कितनी रसीद बुकें छपवाई गई एवं कितनी रसीदें जारी की गई थी। रसीद बुकों को भण्डार रजिस्टर मे दर्ज करने के पश्चात सम्बन्धित कर्मचारी को जारी करना सुनिश्चित किया जाए। महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गये अभिलेखों के अनुसार चयनित माह 07/2008 में जिन रसीद बुकों द्वारा फीस व निधि की राशि एकत्रित की गई थी उनका ब्यौरा इस प्रकार से हैः–

क्र0सं0	रसीद सं0
1	0365586 से 0365950
2	1152351 से 1152400
3	783601 से 783650
4	003051 से 03100

उपरोक्त रसीदों में से रसीद संख्या 0365586 से 0365950 तक अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में आय की पूर्ण जांच नहीं की जा सकी। अतः रसीद बुकों को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करें व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) ₹26000/– की राशि सम्बन्धित निधि खाते में जमा न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि रसीद संख्या 0342568 दिनांक 20.4.2009 ₹26000/– श्री महिन्द्र सलारिया को जारी की गई लेकिन बाद में इसे बिना किसी कारण के एवं नियन्त्रण अधिकारी की स्वीकृति के बिना रद्द दर्शाया गया था इसकी जानकारी अंकेक्षण के दौरान प्रधानाचार्य को दी थी लेकिन कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। अतः रसीद रद्द करने का औचित्य स्पष्ट करें अथवा ₹26000/– की राशि सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जाए एवं भविष्य में रसीदों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात ही नियमानुसार रद्द किया जाए।

7 फीस व विभिन्न निधियों की राशि प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज न करने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया कि फीस एवं विभिन्न निधियों की राशि वर्ष 2010—11, 2011—12 एवं 2012—13 में निधि प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं था कि महाविद्यालय के प्रत्येंक विद्यार्थी से फीस व निधियों की वसूली कर ली गई थी अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में महाविद्यालय के प्रधानचार्य को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 63 दिनांक 9.5.2013 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा था लेकिन अंकेक्षण के दौरान इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः उपरोक्त अवधि एवं भविष्य में प्राप्त की जाने वाली फीस व निधिया की राशि की प्रविष्टियां निधि एकत्रीकरण रजिस्टर में करना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

8 ₹11805/— की राशि सरकारी राजकोष में जमा न करने बारेः—

चयनित माह 06/2010 की आय की जांच करने पर पाया कि दिनांक 30.6. 2010 को ₹38220/— की राशि टयूशन फीस, एडमिशन फीस एवं लेट फीस शुल्क के रूप में महाविद्यालय के विद्यार्थियों से प्राप्त की गई लेकिन इसके एवज में कुल ₹26415/— की राशि चालान संख्या 8 दिनांक 7.7.2010 को राजकीय कोष में जमा करवाई गई थी अर्थात ₹11805/— की राशि राजकीय कोष में कुल जमा करवाई गई व अंकेक्षण के दौरान ₹11805/—का चालान भी सत्यापनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया। ₹11805/— की राशि राजकीय कोष में जमा न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके राजकीय कोष में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाएं।

9 अनुपस्थिति दण्ड के रूप में ₹5613/—की वसूली करने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया कि अंकेक्षण अवधि में प्रैक्टिकल क्लासिज का अनुपस्थिति दण्ड विद्यार्थियों से नहीं वसूला गया था। अतः इसकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्या 64 दिनांक 9.5.2013 द्वारा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को सूचित किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या ई0डी0एन0/सी0एच0एम0/जी0सी0सी0/(आडिट)/2013 दिनांक 22.5.2013 द्वारा सूचित किया गया कि प्रैक्टिकल क्लासिज का अनुपस्थिति दण्ड विद्यार्थियों से नहीं वसूला गया था एवं इसकी सूचना प्रधानाचार्य द्वारा

महाविद्यालय के सभी विभागों को देने के उपरान्त विभिन्न विषयों के प्रैक्टिकल क्लासिज का अनुपस्थिति दण्ड वर्ष 2008 से 2013 तक ₹5613/– रसीद संख्या 0368683 से 0368689 दिनांक 21.5.2013 द्वारा वसूल कर लिया गया एवं इसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई। भविष्य में अनुपस्थिति दण्ड की वसूली समय पर करना सुनिश्चित करें।

व्ययः–

10 वाऊचर संख्या 91 दिनांक 9.3.2009 में ₹200/–का अधिक भुगतान मिश्रित निधि):–

माह 03/2009 के वाऊचर संख्या 91 दिनांक 9.3.2009 की जॉच करने पर पाया कि मैसर्ज गौतम लाईट एण्ड अैन्ट हाऊस, चम्बा से बिल संख्या शून्य दिनांक 25.2.09 द्वारा ₹3500/–की राशि की सामग्री किराये पर ली गई जबकि भुगतान चैक संख्या 2216090 दिनांक 9.3.09 द्वारा ₹3700 का किया गया अर्थात ₹200/–का अधिक/अनुचित भुगतान किया गया। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके मिश्रित निधि खाते में जमा करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

11 मिश्रित निधि से ₹122480/– का अनुचित/अनियमित व्ययः–

दिसम्बर 2010 के व्यय की जांच करने पर पाया कि मिश्रित निधि से खेल का सामान ₹122480/– में खरीदा गया जबकि हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता के नियम 4.6.3 के अनुसार मिश्रित निधि से इस प्रकार के व्यय का कोई प्रावधान नहीं है एवं प्रधानाचार्य द्वारा भी व्यय की स्वीकृति खेल निधि से दी थी। अतः मिश्रित निधि से किए गये इस प्रकार के अनियमित व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाये एवं इस राशि को खेल निधि खाते से मिश्रित निधि खाते में हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता के प्रावधानों के अनुसार ही व्यय करना सुनिश्चित करें। खरीदी सामग्री का ब्यौरा इस प्रकार हैः–

क्र0सं0	बिल सं0	मूल्य (₹)	निधि का नाम
1	बिल नं0 6759 दिनांक 23.8.2010 मै0 पंजाब स्पोर्टस हाऊस	119480 स्पोर्टस मेटिरीयल	मिश्रित निघि
2	बिल नं0 6795 दिनांक 5.9.2010 मै0 पंजाब स्पोर्टस हाऊस	3000 स्पोर्टस मेटिरीयल	मिश्रित निघि

12 ₹1600/–'की वसूली बारे (मिश्रित निधि)

(क) चयनित माह 11/2011 के वाऊचर संख्या 532 की जांच करने पर पाया कि मै0 नरेश आयरन इंजीनियर, चम्बा से बिल संख्या 205 दिनांक 30.11.2011 द्वारा निम्न सामग्री क्रय की गई थी:–

		राशि (₹)
1	Stairs so Rft @ 35 per Rft	1750
2	4 Nos Desk @ ₹3489 each	13956
3	7.550 K.G M.S. Angle @ ₹58 per Kg	437.90
	Fitting & Carriage charges	1250
	Total	17393.90

उपरोक्त कार्य की निविदाओं की जांच में पाया कि मै0 नरेश आयरन इंजीनियर चम्बा की निविदा में Stairs की दर ₹30/– Per Rft थी एवं Fitting & Carriage Charges का कोई प्रावधान नहीं था। आपत्ति उठाए जाने पर प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति से रसीद संख्या 0391632 दिनांक 22.5.13 द्वारा ₹1500/–की वसूली करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवा दी जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई।

(ख) चयनित माह 11/2011 के बिल संख्या 142 दिनांक 18.10.2011 मै0 हंस राज मैहता, चम्बा की जांच करने पर पाया कि मिश्रित निधि से ₹1280/– की सामग्री क्रय की गई थी जबकि भुगतान ₹1380/– किया गया। आपत्ति उठाए जाने पर प्रधानाचार्य से सम्बन्धित व्यक्ति से रसीद संख्या 0391633 दिनांक 22.5.2013 द्वारा ₹100/– की वसूली करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवा दी जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई।

13 हिमाचल पथ परिवहन निगम से रियायती वाऊचर प्राप्त न करने बारे (मिश्रित निधि)

चयनित माहों की विस्तृत जांच करने पर पाया कि निम्नविवरणानुसार विभिन्न कैम्पों/रैलियों में भाग लेने हेतु गए छात्रों की बस द्वारा यात्रा करने पर आवश्यक छूट प्राप्त नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप छात्र निधि से अनावश्यक रूप से अधिक व्यय किया गया। नियमानुसार यात्रा हिमाचल पथ परिवहन निगम से रियायती वाऊचर प्राप्त करके करवाई जानी आपेक्षित थी। अतः हिमाचल पथ परिवहन निगम से रियायती वाऊचर प्राप्त न करके यात्रा करने बारे स्थिति की जाये व अधिक किये गए व्यय बारे जिम्मेवारी निर्धारित करके आवश्यक वसूली करके राशि छात्र निधि में जमा करवाई जाए। भविष्य में हिमाचल पथ परिवहन निगम से मिलने वाली रियायत का लाभ प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये।

क्र0सं0	वा0सं0	कैम्प का नाम	खर्च का ब्यौरा
1	11/2011	Youth festival held at vallash Bhai Patel Collage Mandi Nov. 2011	Total Expediture 36894 Bus fare 14 students Chamba to Mandi & back `11104
2	658/11.10.2012	Youth festival held at Rampur w.e.f 15.10.12 to 18.10.12	Total expenditure 87714 Bus fare 15 students chamba to Rampur & back `18816

14 वास्तविक भुगतान की रसीदें प्रस्तुत न करने बारेः–

चयनित माहों के खर्चों की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न निधियों से विभिन्न ऐजेन्सियों/फर्मो को भुगतान किया गया लेकिन भुगतान की गई राशि की वास्तविक भुगतान रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण भुगतान की गई राशियों की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इन रसीदों को अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये एवं अपेक्षित रसीदें प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए एवं भविष्य में प्रत्येक भुगतान की वास्तविक रसीदें समय पर प्राप्त करनी सुनिश्चित की जाए।

Sr. No.	**Vr. No.**	**Bill No.**	**Debit of Expenditure**	**Amount of expenditure**
1	100/19-3-09 (amalgamated	-	Application charges for the period from 2004-05 to 2008-	₹250000

	Fund)		09 paid to H.P.U. Shimla	
2	15/24.3.09 (Science Fund)	Bill No. 734 Dt. 23-3-09 M/S Vineet Gac Indane	Cylinders & other Materilas	₹128557
3	Nil/24-11-11 (Sports Fund)	Bill No. 1800 Dt. 15.8.11 M/S Chander Mnli Associates, Khera chowk Bhawarna Kangra (HP)	15 pairs Hocky shoos @ 698=10470 Vat @ 5% 524	₹10994
4	Nil/24-11-11 (Sports Fund)	Bill no.1313 Dt. 17-10-2011 M/S Rajdhani sports Near Ram Mandir Matrial Shimla	6 Nos Badmintun Rocket @ `577=3462 14 Pair Football shoe @ `463=6482 1 Set Hockey Goal Keepar Kit+15077 30 pair stocking @ `50 =1500 50 pair sports player Kit @ `251+12550 Vat @5%=1953.55	₹4124.55
5	Nil/24-11-11 (Sports Fund)	Bill No. 010 dt. 25.10.11 M/S Universal Trade Link, Shimla	Shinpad Nivia 15 pair @ `142=2132 15 pair @`142=2132 Vat @ 5% 213	₹4477
6	Nil/24-12-11	Bill No. 5432 dt. 28.10.11 M/S city sales, shimla	4 Nos criket Bol @`1436 10 Nos Stumps @`44=440 50 Nos, Knee cap @ `13=650 50 Nos Amblet Spartan @ `13=650 **Vat @ 5%=374**	5744 7858

15 ₹2588/– के विभिन्न रासायनिक पदार्थें की भण्डारण में कम मात्रा दर्शाने बारेः–

रसायन शास्त्र लैब के भण्डारण रजिस्टर की जांच करने पर पाया कि विभिन्न रायनिक पदार्थों की मात्रा स्टॉक में कम प्रदर्शित की गई जिस कारण ₹2588/– की महाविद्यालय को हानि हुई। अतः सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली करके राशि विज्ञान निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें। कम दर्शाये गये रसायनों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Sr. No.	**Name of chemicals**	**Stock E/P**	**Quantity Shown**	**Actual Quantity**	**Less Quantity Shown**	**Value of chamicals (₹)**
1	Acctone	Organic stock P-17	4 Ltr	7.5 Ltr	3.5 Ltr	1204
2	Benzone	Organic stock P-21	7800 ML	8800 ML	1000ML	420
3	Molybdate	Inorganic stock P-14	NIL	50 Gm	50gm	85
4	Aluminium Chloride	Inorganic stock P-32	50 gm	550 gm	500gm	130
5	Bromine	Inorganic stock P-90	500 ML	1000ML	500ML	180
6	Chloride water	Inorganic stock P-127	100 ML	300ML	200 ML	82
7	Hydro Chloride Acid	Inorganic stock P-167	4 Ltr	650Ltr	2.50 Ltr	490
8	Lime water	Inorganic stock P-357	700 ML	900ML	200ML	47
				Total		**2588**

16 ₹3056/– के भुगतान से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत न करने बारे (विश्वविद्यालय निधि (लाईब्रेरी))

चयनित माह 02/2010 की जांच करने पर पाया गया कि इस माह में लाईब्रेरी निधि से ₹3056/– का भुगतान चैक संख्या 2242738 दिनांक 6.2.2010 द्वारा किया गया लेकिन इन व्ययों से सम्बन्धित दस्तावेज अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गये जिसके अभाव

में भुगतान की जांच नहीं की जा सकी व इन भुगतानों के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः भुगतान के दस्तावेज व उनकी स्टॉक प्रविष्टियॉ आगामी अंकेक्षण मे उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें अथवा सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करके राशि निधि खाते में जमा करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

17 टेलीफोन, बिजली व पानी के बिलों के भुगतान बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि समिश्रित निधि से निम्नलिखित राशियों का भुगतान टेलीफोन, बिजली व पानी के बिलों की अदायगी के लिए किए गसे जोकि इस छात्र निधि पर उचित प्रभार नहीं था। अनियमित प्रकार से किए गए व्यय बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व निम्न राशियों को उचित स्त्रोतों से वसूल करके मिश्रित निधि में जमा किया जाये एवं अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें।

क्र0सं0	विवरण	दिनांक	वा0सं0	राशि (₹)
1	पानी बिल	05/2009	110	1079
2	बिजली बिल	07/2009	115	5545
3	पानी बिल	07/2009	116	2266
4	टेलीफोन बिल	03/2010	226	167
5	टेलीफोन बिल	10/2009	127	1852
6	टेलीफोन बिल	10/2009	133	3641
7	पानी बिल	11/2009	147	2266
8	बिजली बिल	11/2009	148	11795
9	टेलीफोन बिल	12/2009	156	3640
10	टेलीफोन बिल	12/2009	157	5594
11	टेलीफोन बिल	12/2009	158	5622
12	पानी बिल	02/2010	189	3463
13	बिजली बिल	02/2010	190	8322
14	टेलीफोन बिल	02/2010	213	3640
15	बिजली बिल	03/2010	224	6081

16	टेलीफोन बिल	03/2010	225	2860
17	पानी बिल	03/2010	227	1079
18	पानी बिल	04/2010	238	1313
19	बिजली बिल	04/2010	241	7704
20	पानी बिल	05/2010	250	1187
21	टेलीफोन बिल	05/2010	255	2116
22	बिजली बिल	06/2010	258	13071
23	पानी बिल	06/2010	259	2453
24	टेलीफोन बिल	10/2010	300	3640
25	बिजली बिल	10/2010	301	7614
26	बिजली बिल	11/2010	318	4410
27	टेलीफोन बिल	24.2.2011	—	3640
28	टेलीफोन बिल	11.3.2011	—	1141
29	टेलीफोन बिल	25.3.2011	—	3640
30	टेलीफोन बिल	25.4.2011	—	3641
31	टेलीफोन बिल	28.4.2011	—	1962
32	टेलीफोन बिल	28.4.2011	—	1241
33	टेलीफोन बिल	28.4.2011	—	1241
34	टेलीफोन बिल	28.4.2011	—	1241
35	टेलीफोन बिल	28.4.2011	—	1241
36	टेलीफोन बिल	28.4.2011	—	1241
37	टेलीफोन बिल	28.4.2011	—	1241
38	टेलीफोन बिल	28.4.2011	—	1241
39	टेलीफोन बिल	28.4.2011	—	1241
40	टेलीफोन बिल	28.4.2011	—	1241
41	टेलीफोन बिल	28.4.2011	—	1241
42	टेलीफोन बिल	6.7.2011	—	4120
43	टेलीफोन बिल	5.8.2011	—	3981
44	टेलीफोन बिल	3.9.2011	—	8642

45	टेलीफोन बिल	1.10.2011	—	4118
46	टेलीफोन बिल	31.10.2011	—	1413
47	टेलीफोन बिल	1.12.2011	—	2596
48	टेलीफोन बिल	31.12.2011	—	105
49	टेलीफोन बिल	16.12.2010	—	562
50	टेलीफोन बिल	29.1.2011	—	3741
51	टेलीफोन बिल	31.1.2012	—	1396
52	टेलीफोन बिल	2.3.2012	—	1383
53	टेलीफोन बिल	24.3.2012	—	1251
54	टेलीफोन बिल	1.5.2012	—	1534
55	टेलीफोन बिल	11.6.2012	—	1692
56	टेलीफोन बिल	26.6.2012	—	3037
57	टेलीफोन बिल	24.7.2012	—	1582
58	टेलीफोन बिल	27.8.2012	—	128
59	टेलीफोन बिल	21.9.2012	—	1508
60	टेलीफोन बिल	23.10.2012	—	1850
61	टेलीफोन बिल	19.11.2012	—	4031
62	टेलीफोन बिल	29.12.2012	—	3308
63	टेलीफोन बिल	29.1.2013	—	3478
64	टेलीफोन बिल	7.3.2013	—	3414
65	टेलीफोन बिल	21.3.2013	—	3394
66	बिजली बिल	13.7.2011	—	7532
67	बिजली बिल	6.8.2011	—	7086
68	बिजली बिल	12.9.2011	—	5003
69	बिजली बिल	7.10.2011	—	5747
70	बिजली बिल	9.11.2011	—	5547
71	बिजली बिल	10.12.2011	—	7319
72	बिजली बिल	20.3.2012	—	35178
73	बिजली बिल	16.4.2012	—	8831

74	बिजली बिल	13.6.2012	—	11660
75	बिजली बिल	24.7.2012	—	8435
76	बिजली बिल	28.8.2012	—	8310
77	बिजली बिल	11.9.2012	—	5892
78	बिजली बिल	18.10.2012	—	7849
79	बिजली बिल	19.11.2012	—	5869
80	बिजली बिल	11.12.2012	—	11063
81	बिजली बिल	29.1.2013	—	9277
			कुल योग	351816

18 <u>व्यय की स्वीकृति के अनुसार क्रय न करने बारेः–</u>

चयनित माह 2/2010 के व्यय बिलों की जांच के दौरान पाया कि पत्र संख्या ई0डी0एन0–एच(8) ए0एफ0/2009 डायेरेक्टरेट ऑफ हाई एजुकेशन एच0पी0 दिनांक 25.9.09 द्वारा महाविद्यालय की कन्टीन के फर्नीचर इत्यादि के क्रय के लिए मिश्रित निधि से ₹200000/– व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी जबकि इस स्वीकृति के एवज में बिल संख्या 8518 दिनांक 15.2.2010 द्वारा मै0आर0के0 स्टील इण्डस्ट्रीज चम्बा से ₹191000/– की निमनलिखित सामग्री क्रय की गई जोकि कन्टीन फर्नीचर से सम्बन्धित न हो कर अन्य प्रायोजन से सम्बन्धित थी जो कि अनुचित था। अतः स्वीकृति के अनुरूप क्रय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये एवं सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके आवश्यक नियमितिकरण करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाये।

क्र0 सं0	*बिल सं0*	*क्रय की गई सामग्री*	*कुल राशि (₹)*
1	Bill No 8518 dated15-2-2010 M/S AAR Kay steel Industries Chamba	19 Nos Lacture stand @ 2200 each=41800 10 Nos victiria Bench 5" Long @6700 each=67000 8 Nos Dustbin @ 3800 each=30400	

1 Nos Steel Almirah 78"+58"+76"	1200
1 Nos sign board @ `3950 each=15800	
4 Nos Mft & fixing of door fran @3000=12000	
16 Nos repair of Banch =8000	
8 Nos Repair of Tables=4000	191000

19 स्थायी सामग्री की प्रविष्टियां भण्डारण रजिस्टर में अव्यवस्थित तरीके से करने बारेः–

स्थायी भण्डारण रजिस्टर की जांच करने पर पाया कि इस रजिस्टर में महाविद्यालय की सभी स्थायी सामग्री को अव्यवस्थित तरीके से एक ही पृष्ठ में प्रविष्टि कर दिया है अर्थात अलग–2 प्रकृति की सामग्री को अलग–2 पृष्ठ में न दिखाकर एक ही पृष्ठ में प्रविष्टि कर दी जाती है जोकि HPFR के नियम 15.10 के विरूद्ध है। उदाहरण स्वरूप नवम्बर 2011 में मिश्रित निधि में से बिल संख्या 772 दिनांक 5.11.2011 मै0 एस0कुमार, फर्नीचर हाऊस से 6 Bench 3 seater with back @₹8962 each=537772 +vat 2688 एवं बिल संख्या 774 दिनांक 5.11.2011 मै0 एस0 कुमार फर्नीचर हाऊस से 18 Nos Computer Chairs @ ₹3290 each=59220=vat 2970 की सामग्री क्रय की लेकिन उपरोक्त सामग्री की प्रविष्टियां कार्यालय के स्थाई सामग्री के रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 94 में की गई थी एवं कुल सामग्री के स्थान को खाली रखा गया था जिससे यह पता नहीं लगाया जा सका कि महाविद्यालय के पास वास्तव में कुल कितने बैंच एवं कम्पयूटर कुर्सियां उपलब्ध है। अतः HPFR के नियम 15.10 के अनुसार अलग–2 प्रकृति की सामग्री की अलग–2 पृष्ठ में प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें ताकि समय–2 पर स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन से एक नजर में पता लगाया जा सके कि स्टॉक में कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में शेष है।

20 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः–

अभिलेखों की जांच करने पर पाया कि महाविद्यालय के कार्यालय में रखे गये स्थायी भण्डारण रजिस्टर में दर्ज सामग्री का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया जा रहा है जबकि

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत भण्डार में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना आपेक्षित था। अतः नियमों की अनुपालना से स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब स्टॉक का भौतिक/प्रत्यक्ष सत्यापन करके भविष्य में वार्षिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष किया जाना सुनिश्चित किया जाए व की गई कार्यवाही से इस विभाग/कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

21 <u>लघु आपत्ति विवरणीः—</u> लधु आपत्तियों का मौके पर निपटारा कर दिया गया। यह अलग से जारी नहीं की गई है।

22 <u>निष्कर्षः—</u> लेखाओं के रख—रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन(एल0ए0)xi(vii) 31/83 खण्ड—3 दिनांक, 13.11.2013, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।

2 अतिरिक्त सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश शिमला—171002

3 निदेशक, शिक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला—171001.

4 श्री संदीप कमल, अ0अ0 द्वारा..

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.